

खण्ड-एक
उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली -2001
उत्तराखण्ड सरकार उद्योग (च) विभाग
विज्ञप्ति, 26 अगस्त, 2001 ई0

1575-एम/18-ख-माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) एक्ट, 1957 (एक्ट सं0 97/1957) की धारा 15 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुये, उत्तराखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमवाली बनाते हैं, अर्थात्

उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक्रम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्ति :
 - (1) यह नियमवाली उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमवाली, 2001 (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, -1963)
 - (2) इनका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।
 - (3) वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होंगे।
 - * (4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी। (* 20 वां संशोधन)

2. परिभाषायें : जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :
 - (1) "अधिनियम" का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 आफ 1957) से है।
(1-क) "समिति" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या -4343 /18-20-90-601/87 दिनांक 29 अगस्त, 1990 द्वारा गठित समिति से है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष और निदेशक के प्रतिनिधि तथा प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य होंगे और जिसे राज्य सरकार ने नियम 71 के अधीन आरक्षित वन क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजित कर दी हों। (* 20 वां संशोधन)

 - (1-ख) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड से है। (* 20 वां संशोधन)

 - (2) "जिला अधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर से है जिसमें भूमि स्थित है।

 - (3) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।

(3-क) "स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप" का तात्पर्य चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले खनिज से है और जो अपनी आपत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।

(* 20 वां संशोधन)

(4) "खनन" और "स्वामी" के वही अर्थ होंगे जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट, सं0 35, 1952) में दिये गये हैं।

(5) "खनन सक्रियाओं" का तात्पर्य किसी उप खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गई सक्रियाओं (क्वमंतंजपवदे) से हो।

(6) "खनन अनुज्ञा-पत्र" का तात्पर्य उस अनुज्ञा-पत्र (परिमिट) से है जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा-पत्र में नियम अवधि के भीतर उप-खनिज की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।

(7) "उप-खनिजों" का तात्पर्य इमारती पत्थर (Building stone), बजरी (gravel), मामूली मृदा (clay), नियम प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से भिन्न मामूली बालू अथवा किसी ऐसे खनिज से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर घोषित किया है या जिसके उप-खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगूलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा-3 के खण्ड (म) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करें।

(7-क) "खनिमुख मूल्य" का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर मूल्य उपखनिज के विक्रय-मूल्य से है।

(8) "रेलवे" और "रेलवे के प्रशासन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिये इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट 9, 1890) में दिये गये हैं।

(9) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमवाली से संलग्न अनुसूची से है।

(10) "राज्य" और "राज्य सरकार" का तात्पर्य क्रमशः उत्तराखण्ड सरकार से है।

3. खनन सक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी :-

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमवाली प्रयोजन हो, इस नियमवाली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों पर प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन सक्रियाओं न कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमवाली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन सक्रियाओं पर न पड़ेगा।

(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

(3) ऐसे उपखनिज क्षेत्र जिसमें निगमों के द्वारा उपखनिज का चुगान कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है या ऐसे क्षेत्र जिसमें उपलब्ध खनिजों के पूर्ण क्षमता का दोहन करने में अक्षम पाये जाते हैं या ऐसे क्षेत्र जो निगमों के द्वारा रिक्त छोड़ दिये जाते हैं, को नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया में माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य विपणन संघ/श्रम संविदा समितियों/कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों/संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत किये जायेंगे।

अध्याय -2 खनन पट्टे का दिया जाना

4. खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धन :

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगा :-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसकी अंशपूजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या तो भारत के नागरिक हो या कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियाँ) हों।

(ख) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।

(ग) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Other association of individuals) की दशा में केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हो, और

(घ) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

*5- खनन पट्टा दिये जाने या उसके नवीनकरण के लिये प्रार्थना पत्र :

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र एम0एम0 1 में या उसके नवीनीकरण के लिये प्रपत्र एम0एम0 1 (क) में राज्य सरकार को सम्बोधित किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को चार प्रतियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी चारों प्रतियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0-2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। (*20 वां संशोधन)

***6-** खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र शुक्ल और जमा :

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगा :-

(क) तीन हजार रुपये का शुल्क।

(ख) नियम 17 में विनिर्दिष्ट व्ययों से भिन्न अन्य प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिये दो हजार रुपये की जमा और,

(ग) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र (कैडेस्ट्रल सर्वेमैप) की चार प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र, जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया जाना है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो और भू-कर सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे क्षेत्र की स्थिति में धरातल सर्वेक्षण मानचित्र (टोपोग्राफिकल सर्वे मैप,) ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम 4" = 1 मील हो, की चार प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिये प्रार्थना पत्र दिया गया है, ठीक-ठीक चिन्हांकित हो।

(घ) जिला अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाय, जारी किया गया प्रमाण-पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि प्रार्थी के विरुद्ध कोई खनन देय राशि बकाया नहीं है :-

प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी ने यह कथन करते हुये कि राज्य क्षेत्र के भीतर वह कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था, राज्य सरकार के सन्तोषानुसार सपथपत्र दे दिया है, वहां ऐसे प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ङ) जहां प्रार्थना पत्र बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में उपलब्ध हो, वहां आवेदक की जाति और निवास का प्रमाण-पत्र।

(2) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नहीं है या उसके साथ उपनियम (1) में उल्लिखित शुल्क जमा या अभिलेख नहीं है, तो जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र को सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, नियम 9 के प्रयोजन के लिये प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा। (* 20 वां संशोधन Δ 21 वां संशोधन)

***6-क** खनन पट्टा के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदि :

खनन पट्टा के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से, कम से कम छः माह पूर्व, पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानचित्र, जिसमें व क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, जिसके नवीकरण के लिये प्रार्थना की गई हो, की चार प्रतियों सहित दिया जा सकेगा और नियम 6 के उपनियम (1) खण्ड (क) और (घ) के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(* 20 वां संशोधन)

***7-** जांच और प्रतिवेदन :

जिला अधिकारी, जब तक कि वह खनन पट्टा देने या उसका नवीकरण करने के लिये प्राधिकृत न हो, सभी सुसंगत मामलों की जांच करायेगा और खनन पट्टे का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के दिनांक से दो माह के भीतर प्रार्थना पत्र की दो प्रतियां अपने प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार या ऐसे अन्य अधिकारी को भेजेगा जिसे राज्य सरकार तदर्थ प्राधिकृत करें।

(* 20 वां संशोधन)

***8-** प्रार्थना पत्र का निस्तारण :

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्राधिकारी, इस नियमवाली के उपबंधों के अधीन रहते हुये और ऐसी अग्रत्तर जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् :-

(क) खनन पट्टे के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित के पूरे या उसके किसी भाग के लिये ऐसी अवधि के लिये, जैसी वह उचित समझे, खनन पट्टा स्वीकृत कर सकती है।

(ख) खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र की स्थिति में या तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर सकती है या आवेदित क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिये और मूल पट्टे की अवधि से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित, खनन पट्टे का नवीकरण कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि जब खनन पट्टा देने या उसके नवीकरण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है या क्षेत्र में कमी की जाती है उसके कारण अभिलिखित किये जायेंगे और आवेदक को संसूचित किये जायेंगे।

(2) किसी प्रार्थना पत्र को

(क) खनन पट्टे का प्रार्थना पत्र, यथास्थिति, उसकी प्राप्ति के दिनांक से या उस दिनांक से जब उसे नियम 6 के उप नियम (2) के अधीन प्राप्त हुआ समझा गया हो, छः माह के भीतर निस्तारित किया जायेगा और यदि वह उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो खनन पट्टा अस्वीकार कर दिया गया समझा जायेगा।

(ख) खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र उसकी प्राप्ति के दिनांक से चार माह के भीतर निस्तारित किया जायेगा और यदि उक्त अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता है तो खनन पट्टा अपनी अवधि की समाप्ति से छः माह के लिये नवीकृत किया गया समझा जायेगा। पट्टे की नवीकरण की स्थिति में वह मूल पट्टे की समाप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होगा। (* 20 वां संशोधन)

***9-** कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :

(1) ऐसे खनन क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हीकरण कर विज्ञापित किया गया है वहां ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं, को नियम-9 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधिमानी अधिकार हेतु एक ही दिन व समय में प्राप्त हुआ माना जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहां ऐसे प्रार्थना पत्र एक ही दिना प्राप्त हुये हो, वहां राज्य सरकार उपनियम-(2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात खनन पट्टा प्राथियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है जो वह उचित समझे।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें :-

(क) भू-स्वामी है या भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोड़कर अन्य आवेदक हेतु खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान अथवा अनुभव।

(ख) भू-स्वामी है या भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को छोड़कर अन्य आवेदन हेतु वित्तीय संशाधन उस खनन पट्टा क्षेत्र पर निर्धारित अपरिहार्य भाटक के दोगुना से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता।

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्ध में किसी विधि के उपबंधों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण, और

(ङ) ऐसे अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुये सरकार किन्ही विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में, किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो पट्टा दे सकती है।

*Δ 9.—क— बालू आदि के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :

राज्य के स्थायी निवासी, तथा खनिज पर आधारित उद्योग यथा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने वाले व्यक्ति जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो को खनन पट्टा दिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

10. अधिकतम क्षेत्र जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है :

किसी भी व्यक्ति/संस्था को पाँच हैक्टेयर से अधिक के खनन पट्टे तथा किसी भी व्यक्ति/संस्था को एक से अधिक पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में, ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक खनन पट्टे जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकतम पाँच हैक्टेयर से अधिक का क्षेत्र हो अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिये यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करे जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।

11. पट्टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र की लम्बाई और चौड़ाई :

खनन पट्टे के अधीन किसी क्षेत्र की लम्बाई साधारणतया उसकी चौड़ाई के चार गुने से अधिक न हो।

12. खनन पट्टे की अवधि :

(1) उपनियम (2) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, वह अवधि जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है पाँच वर्ष से अधिक न हो।

(2) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी अवधि के लिये खनन पट्ट दे सकती है, जो पाँच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो।

13. प्रतिभूति जमा : —

नियम 14 में अभिदिष्ट विलेख के निष्पादन के पूर्व खनन पट्टे का प्रार्थी पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के उचित पालन के लिये रू0 2000.00 (रू0 दो हजार मात्र) की निम्नतम सीमा के अधीन वार्षिक अपरिहार्य भाटक (डेड रेंट) या पट्टाकृत क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के रूप में, उस प्रकार जमा करेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
ऐसी प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय न होगा। (* 20 वां संशोधन)

*Δ -14- पट्टा विलेख तीन मास के भीतर निष्पादित किया जायेगा :-

(1) यदि बालू, मौरम बजरी, और बोल्टर के लिये खनन पट्टा से भिन्न, खनन पट्टा दिये जाने की अनुमति दे दी गयी हो तो प्रपत्र एम0एम0-3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, उक्त आज्ञा के सूचना के दिनांक से तीन मास के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति दे, पट्टा विलेख निष्पादित किया जायेगा और यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपयुक्त अवधि के भीतर ऐसा पट्टा विलेख निष्पादित न किया जाय तो राज्य सरकार पट्टा देने की अनुमति को रद्द कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क और प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी।

उपनियम (2)- उपनियम- (1) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक होगा जब उक्त उपनियम के अधीन निष्पादित विलेख का पंजीकरण उप निबंधक द्वारा किया जाय।

(3) यदि बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी मिली-जुली अवस्था में हो, के लिये खनन पट्टा दिये जाने के आदेश दे दिया हो, वहां वार्षिक पट्टा धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, आदेश के दिनांक के सात दिन के भीतर या सात दिन से अनधिक ऐसी अग्रत्तर अवधि के भीतर जैसी जिला अधिकारी अनुमति करें जमा कर दी जायेगी और प्रपत्र एम0एम0-3 में या लगभग उसके समान प्रपत्र में जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, एक पट्टा विलेख, उक्त आदेश के संसूचना के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रत्तर अवधि के भीतर, जैसी राज्य सरकार तदर्थ अनुमति करें, निष्पादित कर दिया जायेगा।

बालू एवं मौरम के सम्बन्ध में वार्षिक पट्टा धनराशि उस क्षेत्र से विगत वर्षों में प्राप्त धनराशि के औसत के आधार पर या ऐसे क्षेत्र से पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त धनराशि जो भी उच्चतर हो निर्धारित की जायेगी और बालू बजरी और बोल्टर या इनमें से जो भी मिली-जुली अवस्था में हो, उन क्षेत्रों में पूर्ववर्ती तीन वर्षों में प्राप्त अधिकतम आय के आधार पर निर्धारित की जायेगी। यदि प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण उपर्युक्त अवधि में पट्टा धनराशि जमा नहीं की जाती है या पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार पट्टा देने वाले आदेश को प्रतिसंहत (रद्द) कर सकती है और उस दशा में प्रार्थना पत्र शुल्क प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगा।

(4) उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे के प्रारम्भ होने का दिनांक वह दिनांक उक्त उप नियम के अधीन विलेख निष्पादित के उपरान्त उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण किये जाने का दिनांक होगा।

(5) उप नियम (3) में निर्दिष्ट नीचे अनुसूची के स्तम्भ -1 में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकृत पट्टे की स्थिति में वार्षिक पट्टा धनराशि पट्टे की अवधि के प्रथम तथा अनुवर्ती वर्षों के लिये वार्षिक पट्टा धनराशि के ऐसे प्रतिशत की किशतों में और ऐसे दिनांक के पूर्व, जो उसके सम्बन्धित स्तम्भ में प्रत्येक के सामने प्रत्येक के सामने उल्लिखित है जमा की जायेगी, अर्थात :

(* 20 वां एवं Δ 21 वां संशोधन)

(6) मा० उच्चतम न्यायालय से एन०पी०वी० मुक्त निगम/संस्था खनन/चुगान विभाग के समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०यु० तीन माह के अन्तर्गत हस्ताक्षरित करेंगे तथा एम०ओ०यु० हस्ताक्षर करने के उपरान्त निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति के पश्चात ही उपखनिज क चुगान/खनन कार्य प्रारम्भ करेंगे।

Δ जमा की अनुसूची

अवधि जिसमें पट्टा दिया जाय।	उपनियम (3) के अधीन जमा पट्टा धनराशि का प्रतिशत	प्रथम वर्ष की किशतें			अनुवर्ती वर्षों की किशतें		
1	2	3			4		
जनवरी से मार्च	25 :	प्रथम 25 : 1 जनवरी	द्वितीय 25 : 1 अक्टूबर	तृतीय 25 : 1 जनवरी	प्रथम 50 : 1 अप्रैल	द्वितीय 25 : 1 अक्टूबर	तृतीय 25 : 1 जनवरी
अप्रैल से जून	25 :	25 : 1 अक्टूबर	25 : 1 जनवरी	—	25 : 1 अक्टूबर	25 : 1 जनवरी	50 : 1 अप्रैल
जुलाई से सितम्बर	25 :	25 : 1 जनवरी	25 : 1 अप्रैल	—	25 : 1 अक्टूबर	25 : 1 जनवरी	50 : 1 अप्रैल
अक्टूबर से दिसम्बर	25 :	25 : 1 अप्रैल	25 : 1 जुलाई	—	25 : 1 अक्टूबर	25 : 1 जनवरी	50 : 1 अप्रैल

(* 20 वां एवं Δ 21 वां संशोधन)

* 15- शुल्क की वापसी :

(1) यदि खनन पट्टा दिये जाने के लिये अथवा उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाये तो नियम 6 के उपनियम (1) या नियम 6-क के अधीन प्रार्थी द्वारा दिया गया शुल्क उसको वापस कर दिया जायेगा।

(2) यदि नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन जमा की गयी धनराशि पूर्णतः या अंशतः उक्त खण्ड में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय न की गयी हो तो वह प्रार्थी को वापस कर दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये व्यय की जाने वाली धनराशि उसके अधीन जमा की गयी धनराशि से अधिक हो, तो प्रार्थी को ऐसी अतिरिक्त धनराशि जमा करनी पड़ेगी जो राज्य सरकार निश्चित करे।

(3) यदि राज्य सरकार किसी विशेष मामले के तथ्यों को ध्यान में रखकर अन्यथा आदेश न दे, प्रार्थना-पत्र शुल्क, प्रार्थना-पत्र को वापस लिये जाने पर, वापस न किया जायेगा।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुये भी, खनन पट्टा दिये जाने के लिये या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से किसी चूक के कारण अस्वीकार कर दिया जाये तो प्रार्थना-पत्र शुल्क और प्रारम्भिक व्यय वापस नहीं किया जायेगा और राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगा।

(* 20 वां संशोधन)

*** 16-** पट्टे की समाप्ति पर निर्वन्धन :

कोई भी पट्टेदार राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देने के पश्चात ही खनन पट्टा समाप्त होगा।

*** 17-** पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का सर्वेक्षण :

(1) जब खनन पट्टा दिया जाय तो निदेशक द्वारा पट्टे पर दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का प्रबन्ध किया जायेगा जिसके लिये पट्टेदार से निम्नलिखित दर से प्रभार लिया जायेगा :-

राज्य के समस्त खनन पट्टा क्षेत्र में :-

(एक) 05 है० क्षेत्र तक के लिये रू० 5000.00

(दो) 05 है० से अधिक क्षेत्र के लिए प्रति हैक्टेयर तक रू० 1000.00 की दर से अतिरिक्त ।

(2) पट्टेदार, उसे पट्टा दिये जाने के पश्चात ट्रेजरी चालान द्वारा सीमांकन प्रभार देगा और पट्टे पर दिये गये क्षेत्र का जिला अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक मानचित्र सम्बन्धित खान अधिकारी को या अधिकारी को, जिसे निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, प्रस्तुत करेगा। खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित मानचित्र प्राप्त होने ओर सन्तुष्ट होने पर कि सीमांकन प्रभार जमा कर दिया गया है, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कर देगा।

(3) खान अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्र क सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनार्थ जिले के राजस्व और वन विभाग के ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकता है जैसा वह आवश्यक समझे।

(4) यदि क्षेत्र के सीमांकन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामला निदेशक को अभिदिष्ट कर दिया जायेगा, जो पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात मामले का विनिश्चय करेगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा। (* 20 वां संशोधन)

18- भूतल की नीचे की सीमायें :

(1) पट्टेदार –

(क) किसी खनन पट्टे को उसमें किसी अधिकार स्वत्व या हित को न हो तो अभ्यर्पित करेगा न शिकमी पर देगा न बंधक रखेगा न किसी अन्य रीति से उसका संक्रमण करेगा या

(ख) न तो कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करेगा, जिसके द्वारा पट्टेदार पर्याप्त मात्रा में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है, या जिसमें खनन संक्रियाओं किसी व्यक्ति के निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

प्रतिबंध यह है कि पट्टेदार राज्य सरकार से पूर्वानुमोदन से और ऐसी शर्तों और निवर्बन्धनों के अधीन, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरोपित की जाय, खनन पट्टे या उसमें किसी अधिकार, स्वत्व या हित को सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणधीन किसी वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा (2) के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंकिंग कम्पनीय (उपक्रमों या अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 की प्रथम अनुसूची के स्तम्भ – 2 में विनिर्दिष्ट किसी बैंक को बंधक कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है।

(2) यदि राज्य सरकार की राय में पट्टेदार ने खनन पट्टे को या उसमें किसी अधिकार स्वत्व या हित को अभ्यर्पण, शिकमी, बंधक द्वारा या किसी अन्य रीति से किसी को संक्रमित कर दिया है या राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई प्रबंध, संविदा या समझौता करा लिया है या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किसी शर्त या निबंधन का उल्लंघन किया है तो सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय पट्टे को समाप्त कर सकती है। (* 20 वां संशोधन)

20. रजिस्टर :

जिला अधिकारी के कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्टर रखें जायेंगे :-

(क) प्रपत्र एम0एम0 2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना-पत्रों का रजिस्टर, और

(ख) प्रपत्र एम0एम0 4 में खनन पट्टों का रजिस्टर।

अध्याय –3

स्वामित्व (रायल्टी) और अपरिहार्य भाटक का भुगतान

Δ 21 स्वामित्व :

(1) इस नियमावली के लागू होने की दिनांक को या उसके पश्चात दिये गये खनन पट्टे का धारक, किसी ऐसे खनिज के सम्बन्ध में जिसे उसने पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से निकाला हो, इस नियमवाली की प्रथम अनुसूची में तत्समय निर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करेगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (तवलंसजल) की दर को ऐसे दिनांक से जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, शामिल करने या बहिष्कृत करने अथवा बढ़ाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर निश्चित नहीं करेगा।

(3) यदि खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो तो राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा बिलेख में उल्लिखित की जायेगी। राज्य-सरकार वर्ष में अधिक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी यदि वह इसको बढ़ाया जाना आवश्यक समझे। (Δ 21 वां संशोधन)

अध्याय-4

नीलाम –पट्टा

■ 23- नीलाम/निविदा/नीलाम एवं निविदा पट्टे के लिये क्षेत्र की घोषणा :

(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसी किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की, जिसे या जिन्हें नीलाम करके निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, घोषणा कर सकती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये, किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों को एक बार में पाँच वर्ष से अधिक के लिये नीलाम करने या निविदा द्वारा नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे पर नहीं दिया जायेगा।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि एक बार में स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में अवधि पांच वर्ष और नदी तल खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में एक वर्ष होगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की घोषणा किये जाने पर, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।

(4) जिला अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथास्थिति, नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव निर्धारित करने के लिये खनिज के गुण और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा। (■ 17 वां संशोधन)

■ 24. नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा से क्षेत्र का वापिस लिया जाना :

राज्य सरकार घोषणा, द्वारा नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को निर्दिष्ट पट्टे पर देने की किसी प्रथा से वापस ले सकती है और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2, 3 और 6 के उपबन्ध उस क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे। (■ 17 वां संशोधन)

■ 25. नीलाम या निविदा या नीलाम एवं निविदा के लिये घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर :

जिला अधिकारी, नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम0एम0 5 में रखवायेगा। (■ 17 वां संशोधन)

■ 26- पट्टे के देने पर निर्बन्धन :

किसी व्यक्ति को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है या जिसके खिलाफ खनिज देय बकाया है, नीलाम की बोली बोलने की या पट्टे के लिये निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(■ 17 वां संशोधन)

■ 27- नीलाम द्वारा पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया :

नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन नीलाम द्वारा पट्टे की स्वीकृति के लिये क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :-

(क) नियम 71 के अधीन, जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति, जिसे एतदपश्चात् समिति कहा गया है, नीलाम के दिनांक के कम से कम तीन दिन पूर्व नीचे दी गई रीति से सूचना देगा, जिसमें नीलाम का दिनांक, समय एवं स्थान इंगित होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी भी कारण से नीलामी किसी कारणवश पूरी न हुयी हो वहां कम से कम सात दिन की अल्प नोटिस देने के पश्चात नई नीलामी की जा सकती है।

(एक) नोटिस की प्रतियां जिला अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर और उस क्षेत्र के निकट किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकायी जायेगी।

(दो) नोटिस की एक प्रति गांव सभा को या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जायेगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि स्थित हो।

(तीन) सर्वसाधारण की सूचना के लिये नोटिस उस क्षेत्र में डुग्गी पिटवाकर दी जायेगी, जहां भूमि स्थिर हो, और

(चार) किसी ऐसे अन्य रीति से, जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की जाय।

(ख) जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को नीलाम के लिये पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(ग) क्षेत्र या क्षेत्रों का ब्योरा तथा पट्टे की निबन्धन और शर्त बोली बोलने के इच्छुक व्यक्तियों को नीलाम के समय पढ़ कर सुनाई जायेगी।

(घ) कोई व्यक्ति, जो बोली बोलने का इच्छुक हो, पीठासीन अधिकारी के पास बयाने (अर्नेस्ट मनी) के रूप में दो हजार रुपये अग्रिम जमा करेगा।

(ङ) (एक) नीलाम की समाप्ति पर, परिणाम की घोषणा की जायेगी और अनन्तिम रूप से चुना गया बोली बोलने वाला पट्टा विलेख के निष्पादन के लिये और पट्टे के निबन्धनों और शर्तों का यथोचिति पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पलली किश्त के रूप में उतनी ही धनराशि तुरन्त जमा करेगा। बोली तब तक स्वीकृत नहीं समझी जायेगी जब तक यथास्थिति, राज्य सरकार या जिला अधिकारी या समिति उसे स्वीकार न कर ले।

(दो) चुना गया बोली बोलने वाला किसी संक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया शोधनक्षमता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और अपना स्थायी पता देगा।

(च) बयाना नीलाम के अन्त मे वापस कर दिया जायेगा, सिवाय उसके जो अनन्तिम रूप से चुने गये बोली बोलने वाले द्वारा जमा किया गया हो, उसके मामले में बयाने को प्रतिभूति के रूप में समायोजित कर दिया जायेगा।

(छ) पीठासीन अधिकारी पत्रादि, यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति को प्रस्तुत करेगा।

(■ 17 वां संशोधन)

■ 27-क. नीलाम द्वारा पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया : – नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को निविदा द्वारा पट्टा दिये जाने के लिये क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :

(क) (एक) जिला अधिकारी या समिति निविदाओं के प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनांक से कम से कम तीस दिन किसी ऐसे दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में जिसका उस जिले में परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र या वे क्षेत्र स्थित हैं, निविदा सूचना प्रकाशित करवाकर निविदायें आमंत्रित करेंगे। निविदा में पट्टे की निबन्धन और शर्तें और निविदा प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम दिनांक और समय और उस स्थान सहित जहां निविदायें प्रस्तुत की जा सकती हैं, क्षेत्र या क्षेत्रों के ब्यौरे होंगे।

(दो) निविदा सूचना की प्रतिलिपियां जिला अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट पर और उस क्षेत्र के समीप सुविधाजनक स्थान पर चिपकायी जायेगी।

(ख) जिला अधिकारी निविदा कार्यावाहियों को संचालित करने के लिये अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(एक) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 26 के अधीन अपात्र न हो, अपने हस्ताक्षर से, निविदा यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति को संबोधित मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकता है जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी।

(क) निविदाकार का नाम, पिता का नाम और पता (स्थाई और अस्थाई)

(ख) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है।

(ग) दी गई धनराशि शब्दों और अंकों में।

(घ) जिला अधिकारी के पक्ष में बयाने के लिये पाँच हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट।

(ङ) इस घोषणा के साथ कि कोई खनन सम्बन्धी देय उस पर बाकी नहीं हैं जिला अधिकारी का एक प्रमाण-पत्र या इस आशय का एक सपथ-पत्र।

(च) किसी सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी की गयी बैंक गारन्टी या सम्पत्ति प्रमाण-पत्र या शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र और स्थायी पता।

(दो) यदि उप खण्ड (1) की अपेक्षानुसार कोई सूचना, प्रमाण-पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाय, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

(ग) पीठासीन अधिकारी निविदाओं को निविदाकारों की उपस्थिति में खोलेगा, यदि वे निविदा खोलने के समय उपस्थित हों और विभिन्न निविदाओं में दी गयी धनराशि की घोषणा करेगा। ऐसे निविदाकार को, जिसने अधिकतम धनराशि की है, निविदा में प्रस्तावित धनराशि का 25 प्रतिशत पट्टा विलेख के निष्पादन के लिये प्रतिभूति के रूप में और पट्टे की निबन्धनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिये और स्वामित्व की प्रथम किश्त के रूप में उतनी ही धनराशि तुरन्त जमा करना होगा, निविदा को स्वीकृत नहीं समझा जायेगा जब तक की राज्य सरकार या जिला अधिकारी या समिति उसे स्वीकार न करें।

(घ) बयाने के रूप में जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों को निविदाकारों को वापस कर दिया जायेगा सिवाय उस बैंक ड्राफ्ट के जो उस निविदाकार द्वारा जमा किया गया है, जिसका प्रस्ताव अधिकतम पाया जाय जिसके सम्बन्ध में उसे प्रतिभूति में समायोजित कर दिया जायेगा।

(ङ) पीठासीन अधिकारी पत्रादि को, यथास्थिति जिला अधिकारी या समिति को प्रस्तुत करेगा।

(■ 17 वां संशोधन)

■ 27-ख. नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे की स्वीकृति की प्रक्रिया :-

- (1) जहां जिला अधिकारी और समिति की यह राय हो कि नीलाम एवं निविदा द्वारा पट्टे की स्वीकृति करना समाचित है वहां यथास्थिति, वह या समिति एक साथ निविदा आमंत्रित करेंगे और नीलाम के लिये दिनांक, समय और स्थान का निर्धारण करेंगे।
- (2) जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।
- (3) कोई निविदाकार भी एक ही क्षेत्र या क्षेत्रों के लिय किसी नीलाम में बोली लगाने में भाग लेने के लिये पात्र होगा।
- (4) निविदाकार को नीलामी के स्थान पर उपस्थित होना चाहिए।
- (5) पीठासीन अधिकारी नीलाम के प्रारम्भ होने पर किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये प्राप्त निविदाओं की संख्या की घोषणा करेगा।
- (6) एक बार प्रस्तुत की गयी कोई निविदा, साठ दिन के अवसान के पूर्व या जब तक उस क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्धम में कोई बोली या निविदा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकार न की जाय, वापस नहीं ली जायेगी।
- (7) नीलाम और निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया यथा सम्भव वही होगी, जैसा नियम 27 और 27-क में विनिर्दिष्ट है।

(■ 17 वां संशोधन)

■ 28- पट्टे का दिया जाना :

(1) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति नीलाम के मामले में सबसे ऊची बोली निविदा के मामले में उच्चमतम प्रस्ताव स्वीकार करेगा/करेगी और नीलाम और निविदा के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को स्वीकार करेगा/करेगी जो सबसे ऊंचा हो। स्वीकार किये जाने का एक पत्र उस व्यक्ति को दिया जायेगा, जिसकी बोली का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर नीलाम में या निविदा में किसी अन्य बोली या किये गये अन्य प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है :-

(क) पिछड़ा अनुभव,

(ख) वित्तीय संशाधन

(ग) बोली बोलने वाले द्वारा सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग का प्रकार और उनकी विशेषता।

(घ) किसी पूर्ववर्ती पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं का कार्यान्वित करने में, और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा-पत्र क शर्तों या उनके सम्बन्ध में किसी के उपबन्धों का पालन करने में, बोली बोलने वाले का आचरण और

(ङ) ऐसे अन्य विषय जिन्हे राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(2) यदि जिला अधिकारी या समिति की राय में निविदा में कोई बोली या प्रस्ताव सन्तोषजनक न हो, तो यथास्थिति वह निविदाओं में सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है/कर सकती है और नये नीलाम की निविदा के लिये उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात आदेश दे सकता है/दे सकती है।

■ 17 वां संशोधन)

■ 29. पट्टा विलेख का निष्पादन :

(1) जब कोई बोली या प्रस्ताव अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया जाय तो नीलाम पट्टे के सम्बन्ध में प्रपत्र एम0एम0 6 में तथा निविदा या नीलाम एवं निविदा पट्टा के सम्बन्ध में लगभग उसके समान प्रपत्र में, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हो, बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर या ऐसी अग्रोत्तर अवधि के भीतर जैसा यथास्थिति जिला अधिकारी या समिति इस निमित्त अनुमति दे, पट्टा विलेख निष्पादन किया जायेगा। यदि उपर्युक्त अवधि के भीतर ऐसा पट्टा विलेख बोली बोलने वाले या निविदाकार के किसी चूक के कारण निष्पादित न किया जाय तो बोली या निविदा स्वीकार करने का आदेश प्रतिसहरित हो जायेगा और उस दशा में बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(2) पट्टे की अवधि की सगणना बोली बोलने वाले या निविदाकार द्वारा बोली या निविदा द्वारा स्वीकृत-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से की जायेगी।

(3) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के दिनांक के 15 दिन के भीतर, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।

(17 वां संशोधन)

■ 30- पट्टा का रजिस्टर :

खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0-7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को भेजी जायेगी।

अध्याय-5 खनन पट्टे की शर्तें

■ 31. इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होगी :

(1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे में समाविष्ट कर लिया गया समझा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 46 एवं 47 के उपबन्ध इस नियमावली के अध्याय 4 में निहित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत पट्टों पर लागू नहीं होंगे।

(17 वां संशोधन)

32. अन्य खनिजों की खोज :

(1) पट्टेदार, पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की सूचना, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो तो, पट्टेदार खनिज को तब तक लब्ध (पद) और उसका निस्तारण नहीं करेगा जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

33. विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा :

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नहीं करेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

' 34. खनन संक्रियाओं छः मास के भीतर प्रारम्भ होगी :

(1) सिवाय उस दशा में जब राज्य सरकार पर्याप्त कारणों से अन्यथा अनुमति दे, पट्टेदार पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से छः मास के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ और तत्पश्चात जानबूझकर आंतरायिक (इंटरमिशन) किये बिना ऐसी संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्व रीति से तथा कुशल कारीगर की भांति करेगा।

(2) स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप के सम्बन्ध में खनन संक्रियाओं, निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्यौरा होगा, की जायेगी।

(3) उपनियम (2) में अभिदिष्ट खनन योजन खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन बनाये गये खनिज रियायत नियमावली 1960 के उपबंधों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो से तदर्थ मान्यता प्राप्त अर्ह किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी।

(4) पट्टेदार खनन योजना को अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रस्तुत करेगा, जो खनन योजना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर उसे अनुमोदित कर सकता है, उपान्तरित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। ऐसा करने में विफल रहने पर खनन योजना प्रथम वर्ष के लिये अनुमोदित समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिये खनन संक्रिया के अन्तर्गत खान से कार्य के सम्बन्ध में मशीनों का लगाना, ट्रामवे विछाना और बिछाना और सड़क का निर्माण भी है। (*20 वां संशोधन)

* 35- सीमा चिन्ह खड़ा करना और उसका अनुरक्षण :

पट्टेदार पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र सर्वेक्षण और सीमांकन के पश्चात और पट्टा विलेख निष्पादित करने के पूर्व, अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक हो और उनका सदैव अनुरक्षण करेगा और अच्छी दशा में रखेगा। (*20 वां संशोधन)

* 36- खनिजों का ठीक-ठीक लेखा रखना :

पट्टेदार ठीक-ठीक लेखा रखेगा, जिसमें वह खान (mine) से प्राप्त तथा भेजे गये सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण देगा और साथ ही परिवहन की प्रणाली वाहन का निबन्ध (रजिस्ट्रेशन) संख्या, वाहन या पशु को प्रभारी व्यक्ति तथा ढोये गये खनिज का प्रकार और मात्रा, खनिज की सभी बिक्री के मूल्य तथा समस्त अन्य विवरण, उसमें सेवा युक्त व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता तथा खान के पूरे नक्शे देगा, और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी समय उसके (पट्टेदार) द्वारा रखे गये किन्हीं लेखों, नक्शों और अभिलेखों का परीक्षण करने की अनुमति देगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार को ऐसी समस्त सूचना तथा विवरणियां देगा जो केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा उसमें से किसी के द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी अपेक्षा करे।

37- खाइयों, गडढों आदि का अभिलेख रखना :

पट्टेदार, पट्टे के अधीन अपने द्वारा की गयी खनन संक्रियाओं के दौरान में अपने द्वारा खोदी गयी खाइयों, गड्डों और बरमा में वनाये गये सूराखों (Drilings) का ठीक-ठीक अभिलेख रखेगा और केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा। ऐसे अभिलेखों में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्

(क) वह अधोभूमि (Sub soil) और भूगर्भ स्तर (strata) जिसमें होकर ऐसी खाईयां गड्डे खोदे जायें या बरमें से सूराख किये जायें।

(ख) कोई खनिज जो प्राप्त हो।

(ग) ऐसे अन्य विवरण जिसकी केन्द्रीय या राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करें।

38- पट्टेदार द्वारा मजबूत करना, टेक आदि लगाना :

पट्टेदार यथास्थिति संबद्ध रेलवे प्रशासन या राज्य सरकार के संतोषनुसार, खान के किसी ऐसे भाग को मजबूत करेगा और उसमें टेक लगायेगा (strength & support) जिसे ऐसे प्रशासन या सरकार की राय में किसी रेल, जलाशय (reservoir) नहर, सडक या किसी अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य या भवनों की सुरक्षा के लिये इस प्रकार मजबूत करना या उसमें टेक लगाना आवश्यक हो।

39- अग्रक्रयाधिकार (हकशक) :

(1) राज्य सरकार को सदा ऐसी भूमि से, जिसके सम्बन्ध में पट्टा दिया गया हो, लब्ध खनिजों या खनिजों के उत्पादन का अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) होगा, जिस मूल्य का भुगतान किया जायेगा वह अग्रक्रयाधिकार के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य होगा।

(2) उक्त मूल्य निकालने में सहायकता देने के लिये पट्टेदार यदि उस से ऐसी अपेक्षा की जाय तो राज्य सरकार को उसकी गोपनीय सूचना के लिये अन्य ग्राहकों को बेचे गये ऐसे खनिजों या उनके उत्पादनों तथा उन्हें ढोने के लिये अधिकार पत्रों का विवरण और मूल्य प्रस्तुत करेगा।

40- पट्टेदार की स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार :

नियम 41 में उल्लिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, इस नियमावली के अधीन खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित के सम्बन्ध में स्वतंत्रता, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा :

(क) पट्टे में उल्लिखित भूमि पर प्रवेश करना और खान की खोज करना, उस खनिज को जिसके लिये पट्टा हो, वेधन करना, (bore) उसे खोदना, उनमें बरमें द्वारा सुराग करना (drill) या उसे लब्ध करना, उस पर काम करना, उसका प्रशासन (Dress) करना, उसकी प्रक्रिया करना, उसे बदलना, उसे ले जाना और उसका निस्तारण करना।

(ख) उक्त भूमि में कोई गडढा खोदना, कूपक (Shafts) ढाल (Inclines) पशुमार्ग (Drifts) समतल, जलमार्ग (Water wgys) बनाना या अन्य निर्माण कार्य करना।

(ग) भूमि पर कोई मशीन, संयंत्र (Plant) स्थापित करना, प्रशाधन (Dressing) करना, फर्श विछाना भट्टियां (Furnaces) बनाना, ईट भट्टे लगाना, कर्मशालायें, माल गोदाम और उसी प्रकार के अन्य भवनों का निर्माण करना।

(घ) उक्त भूमि पर सड़क तथा अन्य रास्ते बनाना और उनका उपयोग करना और उन पर आवागमन करना।

(ङ) पत्थर खोदना (to quarry) और पत्थर की बजरी (stone gravel) तथा अन्य भवन और सड़क सम्बन्धी सामान्य तथा मृदा तैयार करना और उसका उपयोग करना और ऐसे ईंटों या खैपरैल (tiles) निर्मित करना और ऐसी मृदा से ईंटों या खपरैलों का प्रयोग करना, किन्तु ऐसे सामान, ईट या खपरैलो को न बेचना।

(च) उक्त भूमि की सतह पर पर्याप्त भाग का खानों के लिये किसी उत्पादन, या किये गये कार्यो और औजारों (tools) सज्जा (equipment), गिट्टी तथा सामानों और खोदे गये या निकाले गये पदार्थों का संग्रहण या जमा करने के प्रयोजन के लिये उपयोग करना और

(छ) अन्य व्यक्तियों के वर्तमान अधिकारों के अधीन रहते हुये और नियम 41 के खण्ड (घ) में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये झाडियों (under growth) और घनी झाडी (brushwood) को साफ करना तथा उक्त भूमि पर खडे या पाये गये वृक्षों या इमारती लकड़ी के वृक्षों का गिराना और उसका उपयोग करना। बशर्ते जिला अधिकारी पट्टेदार को उसके (पट्टेदार) द्वारा गिराये गये और उपयोग में लाये गये किन्ही वृक्षों या इमारती लकडियों का उन दरों पर भुगतान करने के लिये कह सकता है जो जिला अधिकारी द्वारा उनके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाय।

41- पट्टेदार की स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्बन्धन एवं शर्तें :

पट्टेदार नियम 40 में उल्लिखित स्वतन्त्रता, अधिकार और विशेषाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुये करेगा :-

(क) निम्नलिखित स्थानों पर न कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी।

(1) किसी सार्वजनिक विनोद स्थल, शमशान अथवा कब्रिस्तान या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माना जाने वाला कोई स्थान या मकान अथवा ग्राम-स्थल, सार्वजनिक सड़क या कोई अन्य स्थान, जो जिला अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान घोषित किया जाये, और

(2) ऐसी रीति से न तो कोई चीज खड़ी या स्थापित की जायेगी और न कोई सतह संक्रियायें की जायेगी जिससे किसी भवन, निर्माण कार्य, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुंचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(ख) पट्टे में असम्मिलित निर्माण कार्यो या प्रयोजनों के निमित्त कोई ऐसी भूमि, सतह संक्रियायें के लिये प्रयुक्त न की जायेगी, जो राज्य सरकार से भिन्न व्यक्तियों के दखल में पहले से ही हो।

(ग) किसी भी मार्ग, कुआं या तालाब का उपयोग करने के अधिकार पर हस्तक्षेप न किया जायेगा।

(घ) प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना न तो किसी आरक्षित (reserved) सुरक्षित (protected) या निहित (vested) वन में प्रवेश किया जायेगा और न ही उक्त अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बिना और न ऐसी शर्तों के विपरीत, जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करें, किसी इमारती लकड़ी या वृक्षों को गिराया, काटा या उनका उपयोग किया जायेगा।

(ङ) सम्बद्ध रेलवे प्रशान की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाइन से या जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किया जलाशय (reservoir) नहर या अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सार्वजनिक सड़कों या भवनों या निवसित स्थल (inhabited site) से और ऐसे अनुदेशों तथा शर्तों के विपरीत, चाहे वे सामान्य या विशेष हो, जो ऐसी अनुमति में दी जाय, 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान (point) पर या किसी स्थल तक कोई खनन संक्रियायें न की जायेगी। रेलवे, जलाशय, नहर या सड़क की दशा में 50 मीटर की उक्त दूरी, स्थास्थिति, किनारे (bank) के बाहरी जिहवाय (toe) या कटाई (cutting) के बाहरी कोर (edge) से क्षितिज रूप से (horizontally) और भवन की दशा में यह कटाई के बाहरी कोर से 10 मीटर होगी, और

स्पष्टीकरण :- इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये पद "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य ऐसी सड़क से होगा जो कृत्रिम रूप से समतल किये जाने के पश्चात बनाई गई हो और जो निरन्तर प्रयोग के परिणामस्वरूप बनपथ (track) से भिन्न हो और ग्राम-सड़क के अन्तर्गत कोई ऐसा पथ होगा, जो राजस्व अभिलेख में ग्राम-सड़क के रूप में किया गया हो।

(च) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो पट्टेदार द्वारा धृत भूमि में समाविष्ट हो या उससे आसन्न हो या उससे अभिगम्य हो, सरकारी पट्टे या अनुज्ञा-पत्र के वर्तमान या भावी धारकों को वहां आने-जाने की समुचित सुविधायें दी जायेगी। यदि इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करने के कारण ऐसे पट्टाधारियों या अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा कोई हानि या क्षति पहुंचाई जाये तो ऐसे पट्टेदारों या अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पट्टेदार को उसके लिये उचित प्रतिकर (जो परस्पर सहमति द्वारा तय हो या असहमति होने की दशा में, जो राज्य सरकार द्वारा निर्णीत किया जाये) देय होगा।

42- सभी दावों के विरुद्ध पट्टेदार सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा :

पट्टेदार सभी हानि, या विक्षोप (disturbance) के लिये, जो पट्टे द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करने में उसके द्वारा की गयी हो, भुगतान करने की प्रत्याभूति (guarantee) देगा और ऐसे समुचित प्रतिकर का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाये और उन सभी दावों, वादों तथा मार्गों से और उनके प्रति जो किसी ऐसी हानि, क्षति या विक्षोभ के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जायेगी या लायी

जायें और उनके सम्बन्ध में सभी परिव्ययों की राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा पूर्णतया क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

43- पट्टेदार गड्ढों, कूपकों आदि को सुरक्षित और अच्छी दशा में रखेगा :

पट्टेदार पट्टे की अवधि में ऐसे सभी गड्ढों, कूपकों (**shafts**) और कार्यकरणों (**working**) को, जो भूमि में बनाये जाये या प्रयुक्त किये जाये, इमारती लकड़ी या अन्य स्थायी उपायों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा और राज्य सरकार के संतोषनुसार प्रत्येक ऐसे गड्ढे, कूपक या कार्यकरण के चारों ओर, चाहे वर परित्यक्त कर दिया गया हो या नहीं पर्याप्त रूप से बाड़े लगायेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उसी अवधि में, भूमि पर के सभी कार्यकरणों को सिवाय उनके, जो परित्यक्त किये जाये, प्रवेश्य और यथासंभव जल एवं दूषित वायु से मुक्त रखेगा।

44- पट्टेदार, कार्यकरणों के निरीक्षण की अनुमति देगा :

पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ, प्राधिकृत किसी अधिकारी को भू-गृह दि में जिसके अन्तर्गत पट्टे में समाविष्ट कोई भवन, उत्खनन या भूमि भी है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करने और उसके नक्शे (**plan**) बनाने, न्यादर्शन (**sampling**) और कोई आधार सामग्री एकत्र करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश करने की अनुमति देगा और पट्टेदार ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के साथ, जो पट्टेदार द्वारा सेवायोजित किया गया हो तथा जो खानों और खनिकर्म से परिचित हो, उक्त अधिकारी, अभिकर्ताओं, सेवकों और कर्मचारी (**workman**) को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण करने में प्रभावपूर्ण रूप से सहायता देगा और उन्हें खानों की कार्यप्रणाली (**working**) से संबद्ध सभी सुविधायें व सूचना देगा, जिनकी वे उचित रूप में अपेक्षा करें और ऐसी सभी आज्ञाओं तथा विनियमों के अनुसार के अनुसार कार्य भी करेगा और उनका पालन करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण के फलस्वरूप या अन्य प्रकार से समय-समय पर देना या बनाना उचित समझे।

45- पट्टेदार, दुर्घटना का प्रतिवेदन देगा :

पट्टेदार अविलम्ब जिला अधिकारी को प्रत्येक ऐसी दुर्घटना का प्रतिवेदन भेजेगा जो पट्टे के अधीन किन्हीं संक्रियाओं के दौरान में हो जाये और जिसके कारण मृत्यु हो जाये या गंभीर शारीरिक चोट पहुंचे या संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंचे, या जिससे जीवन या संपत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़े, या वह संकट में पड़ जाये।

* **46-** पट्टेदार तौलमशीन की व्यवस्था करेगा :

उक्त नियमावली के नियम 46 और 47 निकाल दिये जायेंगे। (*20 वां संशोधन)

* **47.** पट्टेदार तौलमशीन की जांच करने की अनुमति देगा :

48- पट्टेदार कोई भी अतिरिक्त आवश्यक धनराशि जमा करेगा :

जब कभी प्रतिभूति जमा या कोई भाग या उसकी पूर्ति (तमचसमदपोउमदज) में राज्य सरकार के पास जमा की गई कोई अतिरिक्त धनराशि इस नियमावली द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर ली जाये या प्रयुक्त की जाये, तो पट्टेदार राज्य सरकार के पास ऐसी और धनराशि जमा करेगा जो ऐसी जब्ती या प्रयुक्ति के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

49- सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली :

यदि कोई निर्माण या विषय, जो इस नियमावली के अनुसार पट्टेदार द्वारा कार्यान्वित या संपादित किये जाने वाले हो, तदर्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यान्वित या संपादित करा सकती है और पट्टेदार मांगने पर राज्य सरकार को उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये सभी व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसे व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

50- प्रतिभूति जमा का वापस किया जाना :

खनन पट्टे की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार के पास जमा पड़ी हुई प्रतिभूति की धनराशि जो इस नियमावली में उल्लिखित किन्हीं भी प्रयोजनों में प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, साधारणतया पट्टे की समाप्ति के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दी जायेगी।

अध्याय -6

खनन अनुज्ञा-पत्र

51- खनन अनुज्ञा-पत्र के दिये जाने पर निर्बनधन :-

काई खनन अनुज्ञा-पत्र ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो, या छः मास से अधिक अवधि के लिये न दिया जायेगा।

52- खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र :-

खनन अनुज्ञा-पत्र दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रपत्र एम0एम0 8 में, तीन प्रतियों में, जिलाधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो ऐसा अनुज्ञा-पत्र देने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये। इसके साथ निम्नलिखित होंगे :-

(एक) 400 रू० का शुल्क और

(दो) भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र की ऐसे पैमाने पर जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, दो ऐसी प्रतियां जिसमें वह क्षेत्र, जिसके प्रार्थना-पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो। (०16 वां संशोधन)

Δ53.- प्रार्थना पत्र का निस्तारण :

अनुज्ञा पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझी जाय, अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या उसकी किसी आज्ञा द्वारा ऐसी शर्त और निबन्धनों के अधीन जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस कर दिया जायेगा। (Δ21 वां संशोधन)

Δ 53-क अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :

नदी के तल से अनन्य रूप से पायी जाने वाली बालू या मोरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी अनन्य अथवा मिली-जुल अवस्था में हो, खनन अनुज्ञा पत्र के सम्बन्ध में अधिमान किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूल को चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, दिया जायेगा जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से नागरिकों के पिछड़े वर्गों के हों और वृत्ति के रूप में बालू या मोरम के उत्खनन कार्य में लगे हों और उसी जिले के निवासी हों, जिसमें वह क्षेत्र स्थिति हो, जिसके अनुज्ञा पत्र के लिये आवेदन किया गया हो।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिये नियम - 9-क का स्पष्टीकरण लागू होगा। (Δ21 वां संशोधन)

***54-** स्वामित्व का जमा किया जाना :

(1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक के पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश में अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से जो उसके द्वारा हुआ माना जाय अनुज्ञात समय के भीतर खनिज को नहीं हटा लेता तो स्वामित्व के रूप में जमा कोई धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

(2) यदि प्रार्थी उप नियम (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर या ऐसी अग्रेत्तर अवधि के भीतर, जैसी अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा दी जाये स्वामित्व जमा करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा पत्र स्वीकृत

करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रद्द) हो जायेगा और नियम 52 के खण्ड (एक) में उल्लिखित फीस राज्य सरकार के प्रति जब्त हो जायेगी। (*20 वां संशोधन)

***55-** खनन अनुज्ञा-पत्र का जारी किया जाना :

प्रार्थी को खनन अनुज्ञा-पत्र प्रपत्र एम0एम0 10 ऐसे अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों के साथ, जिनके अधीन नियम 53 में आदेश दिये जाय, नियम 54 के उपनियम (1) में स्वामित्व जमा करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जारी कर दिया जायेगा और इस प्रकार जारी अनुज्ञापत्र , में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इसमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा। (*20 वां संशोधन)

56- खनन अनुज्ञा-पत्रों का रजिस्टर :

खनन अनुज्ञा-पत्रों के सभी प्रार्थना-पत्रों का एक रजिस्टर जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों के ब्यौरों के साथ प्रपत्र एम0एम09 मे जिला अधिकारी अथवा खनन अनुज्ञा-पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा।

अध्याय-7

अल्लंघन अपराध और शास्तियां

57- अनधिकृत खनन के लिये शस्ति :

जो कोई भी नियम- 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनो दण्डों से दण्डनीय होगा। उक्त के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये जा रहे खनिज की मात्रा पर विक्रय मूल्य की धनराशि आंगणित कर वसूल किया जायेगा।

58. स्वामित्व, भाटक या अन्य देयों को भुगतान न करने के परिणाम :

(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें, यदि उस भुगतान के लिये लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया हो, तो खनन पट्टा

समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में बसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना, उप नियम (1) के अधीन सूचना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

(■17 वां संशोधन)

■58. कतिपय शर्तों का उल्लंघन करने के परिणाम :

खनन पट्टाधारण करने वाला कोई पट्टेदार (जो कार्यकारिणों और तौल मशीनों के निरीक्षण से सम्बन्धित) नियम 44 और 47 में व्यवस्थित किन्हीं शर्तों को भंग करे, दोष सिद्ध हो जाने पर दानों में से किसी भी प्रकार के कारावास दण्ड से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है, अर्थात् अर्धदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दानों दण्डों से दण्डनीय होगा।

(■17 वां संशोधन)

*60- सामान्यतया नियमों और पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का परिणाम :

(1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसविदाओं के, सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बन्धित हों, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताते का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 59 के उपबन्धों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम जिला अधिकारी द्वारा पांच वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा उचित समझा जायें काली सूची में डाल दिया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में, यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलाम रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

(*20 वां संशोधन)

विविध

61- प्रत्यक्ष अशुद्धियों को ठी करने का अधिकार :

राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन दी गई किसी आज्ञा में कोई लिपिक या अंकीय अशुद्धि यथास्थिति राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा ठीक की जा सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी आज्ञा, जो किसी व्यक्ति के लिये हानिकर हो, तब तक न दी जायेगी जब तक कि उसे अपना मामला बताने के लिये समुचित अवसर न दे दिया गया है।

***62-** रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने दिया जायेगा :

(1) इस नियमावली द्वारा रखे जाने वाले नियम सभी रजिस्ट्रों को प्रत्येक प्रविष्टि के लिये बीस रुपये का शुल्क भुगतान करने पर निरीक्षण करने दिया जायेगा।

(2) उप नियम (1) में अभिदिष्ट रजिस्ट्रों की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

(क) सात दिन के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 100.00 रुपये और

(ख) चौबीस घन्टे के भीतर प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये 200.00 रुपये।

स्पष्टीकरण – (1) “प्रविष्टि” का तात्पर्य यथास्थिति, एक अनुज्ञा पत्र या एक खनन पट्टा या एक नीलामी पट्टा के सम्बन्ध में समस्त प्रविष्टियों से है।

स्पष्टीकरण – (2)– शुल्क का भुगतान नियम 64 में निहित रीति से किया जायेगा और यथास्थिति निरीक्षण के लिये प्रार्थना पत्र या प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये प्रार्थना पत्र के साथ ट्रेजरी चालाल लगा होगा।

(*20 वां संशोधन)

63- नाम, राष्ट्रिकता आदि में परिवर्तन की सूचना दी जायेगी :

खनन पट्टे का प्रार्थी या उसका धारक राज्य सरकार को साठ दिन के भीतर प्रत्येक ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा जो उसके नाम, राष्ट्रिकता या संगत प्रपत्रों में उल्लिखित अन्य विवरणों में किया जाये।

64- शुल्कों और जमा का भुगतान कैसे किया जायेगा :

इस नियमवाली के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान ऐसी नीति रीति से किया जायेगा, राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे।

65- छात्रों के प्रशिक्षण के लिये सुविधायें :

(1) खनन का प्रत्येक स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनिकर्म एवं भूतत्व सम्बन्धी संस्थाओं के छात्रों को उनके द्वारा चलायी जाने वाली खानों और संयंत्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति देगा और ऐसे छात्रों के प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(2) खनिकर्म या भूतत्व शास्त्र की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के छात्रों के प्रशिक्षण के लिये प्रार्थना पत्र खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को उक्त संस्थाओं के आचार्य (क्तपदबपचंस) या प्रधान के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। खान के किसी स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक द्वारा व्यावहारिक, प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने से इनकार करने के मामले भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशक, उत्तराखण्ड को अभिविष्ट किये जाने चाहिये।

66- निर्धारण करने, प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार :

(1) किसी खान का परित्यक्त खान के रायल्टी का निर्धारण करने और उसकी वास्तविक या भावी कार्य की स्थिति की जांच करने के लिये या इस नियमवाली से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिये जिला अधिकारी या भू-विज्ञान तथा खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के ऐसे अधिकारी जो निदेशक द्वारा इस योजना के लिये नियुक्त खान निरीक्षक के पद से नीचे के पद के न हों या राज्य सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी :

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है।

(ख) किसी ऐसी खान का सर्वेक्षण कर सकता है और माप सकता है।

(ग) किसी खान में पड़े हुये खनिज स्टाक को तौल सकता है, उसे माप सकता है या उसकी नाप ले सकता है।

(घ) किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति कब्जे या अधिकार में हो, जिसका किसी खान पर नियन्त्रण हो या जो उससे संबद्ध हो और उस पर पहचान के चिन्ह लगा सकता है और ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतियां तैयार कर सकता है।

(ङ) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे लेख्य, बही, रजिस्टर या अभिलेख को समन कर सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो उससे संबद्ध हो, समन कर सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है, और

(छ) ऐसी सूचना का विवरण मांग सकता है जो आवश्यक समझी जाये।

(2) उप नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति से जो उक्त उप नियम के खण्ड (ड) या खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के आधार पर कोई आज्ञा या समन जारी किया जाय, यथास्थिति, ऐसी आज्ञा या समन का अनुपालन करने के लिये विधितः बाध्य होगा। (० 8 वां संशोधन)

67- भूमि के स्वामी द्वारा खनन संक्रियाये पर कोई निर्बन्धन आदि आरोपित नहीं किया जायेगा :

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि में किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई प्रतिशोध या निर्बन्धन आरोपित करने या उपखनिज हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के यप में कोई धनराशि मांगने का हकदार न होगा।

(2) जहां खनन पट्टा अनुज्ञा-पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :

(क) कृषि योग्य भूमि की दशा में, प्रतिकर की धनराशि उसी प्रकार की भूमि में विगत तीन वर्षों में की गई खेती से प्राप्त औसत शुद्ध आय के आधार पर निकाली जायेगी, और

(ख) गैर कृषि योग्य भूमि की दशा में, वार्षिक प्रतिकर की धनराशि, उसी प्रकार की भूमि के विगत तीन वर्षों के भाटक मूल्य के आधार पर निकाली जायेगी । (*20 वां संशोधन)

68- विशेष मामलों में नियमों का शिथिल किया जाना : राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी यह राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसा करना आवश्यक है, इस नियमावली में निर्धारित शर्तों और प्रतिबन्धों से भिन्न शर्तों और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिये किसी खनन पट्टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।

69. स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार के माध्यम से वसूल किया जा सकता है :

(1) सरकार, खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक ठेकेदार द्वारा वसूल किये जाने का प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे धारक, जब राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाये, स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान अपने पट्टे में निर्दिष्ट दरों पर उक्त ठेकेदारों को ऐसी अवधि के भीतर करेंगे, जो निदेशित की जाये।

(2) खनन पट्टे के धारक द्वारा ठेकेदार का यथास्थिति स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक का भुगतान न करने के वही परिणाम होंगे, जो राज्य सरकार को भुगतान करने के होते हैं और उस दशा में राज्य सरकार को पट्टेदार से बकाया की वसूली करने तथा पट्टे को समाप्त करने के सम्बन्ध में ऐसे सभी अधिकार होंगे, जो इस नियमावली में व्यवस्थित है।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ, जो उपयुक्त समझा जाये, तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र में खनन पट्टों के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक वसूल करने के लिये नीलाम करके या टेण्डर आमंत्रित करके या किसी अन्य रीति से ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है जो उपयुक्त समझी जायें।

***70-** खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन :

(1) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाड़ी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उप खनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एम0एम0 11 में पास जारी करेगा। राज्य सरकार जिला अधिकारी के माध्यम से, भुगतान के आधार पर मुद्रित एम0एम0 11 प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर, पशु, गाड़ी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन प्रपत्र एम0एम0 11 में जारी पास के बिना नहीं ले जायेगा।

(3) किसी उपखनिज को ले जाने वाला व्यक्ति, नियम 66 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर उक्त " पास" को ऐसे अधिकारी को दिखायेगा और उसे उप खनिज की मात्रा के संदर्भ में "पास" के विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने देगा।

(4) राज्य सरकार खनन पट्टा या अनुज्ञा पत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के लिये जांच चौकी (चेक पोस्ट) स्थापित कर सकती है और जब ऐसी जांच चौकी स्थापित कर दी जाय तो इस तथ्य की सार्वजनिक सूचना गजट में प्रकाशित करके और ऐसी अन्य रीति से दी जायेगी जैसा राज्य सरकार उपर्युक्त समझे।

(5) कोई व्यक्ति, ऐसे उपखनिज का, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, परिवहन ऐसे क्षेत्र से, उस क्षेत्र के लिये स्थापित जांच चौकी पर खनिज के प्रकार या माप के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये बिना नहीं करेगा।

(6) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में यह पाया जाय कि उसने इस नियम का उल्लंघन किया है, दोष सिद्ध हो जाने पर दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि छः माह तक हो सकती है अथवा अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
(*20 वां संशोधन)

(7) खनिज परिवहन किये जाने वाले प्रपत्र एम0एम0-11 एवं प्रपत्र जे सम्बन्धित जनपद के ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षण द्वारा जारी किये जायेंगे।

प्रतिनिधान :

राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई भी अधिकार किन्हीं ऐसे विषयों के सम्बन्ध और ऐसी शर्तों के अधीन रहत हुये, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की

जाय, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किये जा सकते हैं, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाये।

***Δ72**.पुनः स्वीकृत के लिये क्षेत्र की उपलब्धता का अधिसूचित किया जाना :

(1) निजी नाप भूमि का छोड़कर यदि कोई क्षेत्र जो अध्याय-2 के अन्तर्गत खनन पट्टा के अधीन धृत था या अधिनियम की धारा-17-क के अधीन आरक्षित था, पुनः खनन पर दिये जाने के लिये उपलब्ध हो जाता है तो जिला अधिकारी नोटिस के माध्यम उस क्षेत्र की उपलब्धता अधिसूचित करेगा जिसमें दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए, जो नोटिस के दिनांक से तीस दिन पहले का न होगा और ऐसे क्षेत्र का ब्यौरा होगा। खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित करेगा और ऐसी नोटिस की एक प्रति उसके कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और एक-एक प्रति उस क्षेत्र के तहसीलदार और निदेशक को भी भेजी जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र उक्त उप नियम में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त किये जायेगे। यदि फिर भी, किसी क्षेत्र के लिये प्राप्त आवेदक पत्रों की संख्या तीन से कम हो तो जिलाधिकारी अवधि को अग्रतर सात कार्य दिवसों के लिये और बढ़ा सकता है और यदि उसके पश्चात भी प्रार्थना पत्र की संख्या तीन से कम रहती है तो जिलाधिकारी उक्त उप नियम के अनुसार नये सिरे से क्षेत्र की उपलब्धता को अधिसूचित करेगा।

(3) ऐसे क्षेत्र का, जो पहले से ही किसी पट्टा के अधीन धृत है या नियम 23 के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित है या अधिनियम की धारा 17- क के अधीन आरक्षित है और जिसकी उपलब्धता उप नियम (1) के अधीन अधिसूचित नहीं की गयी है खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र समय पूर्व समझा जायेगा और उस पर विचार नहीं किया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है तो उसे वापस दिया जायेगा।

(***20** वां व **Δ21** संशोधन)

(4) निजी नाप भूमि में विज्ञप्तिकरण की कार्यवी नहीं की जायेगी तथा भूस्वामी अथवा भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त आवेदक को आवेदन करने पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर खनन निदेशक की संस्तुति के उपरान्त खनन पट्टा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(5) निजी नाप भूमि से इतर खनन क्षेत्रों हेतु जिलाधिकारी के द्वारा विज्ञप्तिकरण के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र निदेश, भूत्व एवं खनिकर्म को प्रेषित किये जायेंगे। निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

* **73**- विवरणियां (रिटनर्स) :

(1) इस नियमावली के अधीन खनिज परिहार धारक, पूर्ववर्ती त्रैमास के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0 12 में जिला अधिकारी और निदेशक के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कभी भी खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होता है तो यह 400.00 रुपये की शास्ति का भागी होगा। (*20 वां संशोधन)

* 74- अपराधों का संज्ञान :-

(1) कोई न्यायालय, जिला अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिखित परिवाद, जिसमें ऐसे अपराध के गठन करने वाले तथ्यों का उल्लेख होगा, के सिवाय, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस नियमावली के अधीन अपराध का विचार नहीं करेगा। (*20 वां संशोधन)

* 75- अपराधों का शमन :-

(1) इस नियमावली के अधीन—दण्डनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, जिला अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें, राज्य सरकार को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, जैसी ऐसा अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा :-

प्रतिबंध यह है कि केवल अर्थ दण्ड से दण्डनीय किसी अपराध की दशा में, ऐसी धनराशि उस अपराध के लिये आरोपित की जा सकने वाली अधिकतम धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन किसी अपराध को शमन किया जाता है, वहां इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में, अपराधी के विरुद्ध स्थास्थिति, कोई कार्यवाही या अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और अपराधों को, यदि अभिरक्षा में हो, तत्काल उन्मोचित कर दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन अपराध का शमन करने वाला अधिकारी एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित ब्योरों को दर्शाया जायेगा :-

(क) क्रम संख्या (वित्तीय वर्ष तक)

(ख) अपराधी का नाम और पता।

(ग) दिनांक और अपराध के ब्यौरे।

(घ) शमन धनराशि और उसके भुगतान का दिनांक।

(ङ) दिनांक और मोहर सहित अधिकारी के हस्ताक्षर।

(*20 वां संशोधन)

76- पुलिस की सहायता : नियम 66 में अभिदिष्ट अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों के विधिसम्मत प्रयोग के लिये स्थानीय पुलिस, की सहायता के लिये प्रार्थना पत्र कर सकता है और स्थानीय पुलिस, उस अधिकारी को इस नियमावली के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये आवश्यक, सभी सम्भव सहायता देगी। (*20 वां संशोधन)

***77-** अपील : इस नियमावली के अधीन जिला अधिकारी या समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध, ऐसा ओदश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर, मण्डल आयुक्त के यहां अपील की जायेगी। (*20 वां संशोधन)

***78-** पुनरीक्षण : राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर जिला अधिकारी, समिति, निदेशक, या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

(*20 वां संशोधन)

***79-** शुल्क : नियम 77 के अधीन अपील या नियम 78 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम0एम0 13 में दो प्रतियों में प्रयुक्त किया जायेगा और उसके साथ एक ट्रेजरी रसीद होगी, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि नियम 64 में विनिर्दिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकार के मद्दे पांच सौ रूपये का शुल्क सरकारी कोष में जमा किया जा चुका है।

(*20 वां संशोधन)